

Tear Here

## Acceptance of Coins for Transactions or Exchange at Branches

Coins in denomination of 50 paise continue to be valid / legal tender and may be used for transactions in normal course.

**Provided that the coin has not been defaced and has not lost weight so as to be less than such weight as may be prescribed in its case.**

५० पैसे के मूल्य वर्ग के सिक्के अभी भी मान्य/कानूनी वैध मुद्रा है और सामान्य रूप से लेन-देन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

**बशर्ते सिक्का विकृत न हो और उसने इतना वजन न गंवाया हो, कि उसका वजन इसके मामले में विनिर्धारित वजन से कम हो।**

50 पयसार मुद्रा आगेर मतोई बलबण / वैध माध्यम থাকবে এবং স্বাভাবিক স্তরের লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**তবে মুদ্রাটি যেন অচল না হয়ে গিয়ে থাকে আর ক্ষয়ে না যায়, মানে ঐ ওজনের চেয়ে কম, যা এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছে।**